इडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. : 3 अक्तूबर 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

इस अंक में

मौद्रिक नीति 2014-15 ----------1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ---------- ----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं ----------3
विनियामकों के कथन ----------4
अर्थव्यवस्था / विदेशी मुद्रा ----------4
वित्तीय समावेशन ----------4
बीमा ---------- --- ----------5
उत्पाद एवं गठजोड ----------5
नयी नियुक्तियां ----------5
बासेल -III - पूंजी विनियमन----------5
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली ----------6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------6
संस्थान समाचार----------6
बाज़ार की खबरें ----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की 4थी द्विमासिक मौद्रिक नीति : 30 सितम्बर 2014

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 8% पर अपरिवर्तित रखी गई है।
- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) भी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है।
- निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ECR) सुविधा के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली चलनिधि पात्र निर्यात ऋण बकाये के 32% से घटाकर 10 अक्तूबर, 2014 से 15% कर दी गई है।
- चलनिधि की स्थिति को सहज बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक एक दिवसीय पुनर्खरीद के अधीन बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के चलनिधि समायोजन सुविधा की पुनर्खरीद दर 0.25% पर चलनिधि तथा 7 दिवसीय और 14 दिवसीय मीयादी पुनर्खरीद के तहत बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के 0.75% तक की चलनिधि प्रदान करना जारी रखेगा।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर 7.0% और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 9.0% पर अपरिवर्तित रहेगी।
- जून से सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति घटकर उन स्तरों पर आ गई है जो जनवरी 2015 तक की वांछित निकट अवधि तक 8% की अवस्फीति के विसर्पण मार्ग से सुसंगत हैं। जनवरी, 2014 से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता रही है खाद्य और ईंधन को छोड़कर 111 संचयी आधार अंकों की स्थिर गिरावट के साथ मुद्रास्फीति का नये न्यून स्तर पर पहुंचना। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में कमी आने तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार में सापेक्ष स्थिरता आने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में वृद्धि से सम्बन्धित कुछ जोखिमों में कमी आ रही है।
- बैंकों के महत्वपूर्ण वित्तीय मापदंडों का पता लगाने हेतु एक समय-पूर्व चेतावनी प्रणाली (EWS) लागू की जा रही है। पूर्व-निर्धारित निर्देश-चिन्हों से विचलन बढ़ी हुई परोक्ष निगरानी, संकेन्द्रित चर्चाओं, प्रत्यक्ष परीक्षण और दंडात्मक कार्रवाइयों, यदि आवश्यक हों, के रूप में अधिक दानेदार पर्यवेक्षण को आवश्यक बना देंगे।

- बाज़ार के सहभागियों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रतिरक्षण हेतु परिचालनात्मक स्थितियों को सरल बनाने के उद्देश्य से विगत कार्य-निष्पादन मार्ग के तहत आयातकों की पात्रता सीमा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 100% करने का निर्णय लिया गया है, अर्थात् आयातक इस मार्ग के तहत प्रतिरक्षण के लिए लागू होने वाली शर्तों के अनुपालन की शर्त पर पिछले तीन वर्षों के आयात पण्यावर्त अथवा पूर्ववर्ती वर्ष के पण्यावर्त, इनमें से जो भी कम हो, के औसतन 100% तक प्रतिरक्षित कर सकते हैं।
- जनता की बचतों के औपचारिक चैनलों को प्रवाह तथा अनधिकृत एवं बेईमान संस्थाओं / कम्पनियों द्वारा जुटाई गई जनता की जमाराशियों के संरक्षण के लिए वित्तीय समावेशन पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों (SLCC) को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की सिफारिशों के अनुरूप राज्य-स्तरीय समन्वय समितिं (SLCC), जिसकी अध्यक्षता इस समय राज्य के मुख्य सचिवों / संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों द्वारा की जाती है, की बैठक छमाही के बजाय प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाएगी।
- बैंक खाते खोलते समय और आवधिक अद्यतन के दौरान सामान्य व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 'अपने ग्राहक को जानिए' (KYC) से सम्बन्धितं दिशानिर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से और सरलीकृत किया जाएगा, ताकि बैंक आवधिक अद्यतन के समय ग्राहक की भौतिक उपस्थिति पर बल न दें, 'कम जोखिम वाले' ग्राहकों के मामले में स्थिति में कोई परिवर्तन न होने की दशा में आवधिक अद्यतन के समय पहचान और पते के नये प्रमाण न मांगें, स्वत: प्रमाणन की अनुमति दें, मेल /डाक आदि से भेजी गई दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति स्वीकार करें और बैंक के अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक किसी मौजूदा ग्राहक के बैंक में कोई अन्य खाता खोलने का इच्छुक होने पर नये दस्तावेज़ की मांग न करें।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बाह्य वाणिज्यिक उधार ऋणदाता रुपयों में लेनदेन कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि सभी मान्यताप्राप्त अनिवासी बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) ऋणदाता विदेशी मुद्रा का व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत किसी बैंक के साथ की गई अदला-बदलियों के माध्यम से भारतीय रुपये जुटा कर भारतीय रुपये में ऋण प्रदान कर सकते हैं। बाह्य वणिज्यिक उधार संविदा को स्वत: और अनुमोदन मार्गों, जैसी भी स्थिति हो, पर लागू होने वाली अन्य सभी शर्तों का पालन करने वाली होनी चाहिए तथा ऐसे बाह्य वणिज्यिक उधारों से जुड़ी सभी लागतें बाज़ार में प्रचलित स्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए। इस छूट से बाह्य वाणिज्यिक उधार व्यवस्था की संरचना में अधिकाधिक लचीलापन आएगा। वर्तमान में सभी पात्र उधारकर्ता उनके विदेशी इक्विटी धारकों से केवल भारतीय रुपये में बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने के पात्र हैं।

कमजोर बैंकों के अधिग्रहण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी वाणिज्यिक बैंक द्वारा किसी कमजोर शहरी सहकारी बैंकं (UCB) के अभिग्रहण से बाद वाला शहरी सहकारी बैंक) प्रभावित न हो, दो शर्तें विनिर्दिष्ट की हैं। पहली, अधिग्राहक बैंक को विलयन / आस्तियों एवं देयताओं के अंतरण से पैदा होने वाली कोई हानि न वहन करनी पड़े। दूसरी, 1 लाख से अधिक की धारिता वाले बड़े जमाकर्ताओं को लक्ष्यांकित बैंक के जमा-ह्रास में सानुपातिक रूप में त्याग करना होगा। इन शर्तों से यह सुनिश्चित होगा कि शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों एवं देयताओं के वाणिज्यिक बैंकों को अंतरण द्वारा कमजोर संस्थाओं के रुकावट-रहित निर्गमन के रूप में समेकन अधिग्राहक संस्थाओं / कम्पनियों की वित्तीय सुदृढ़ता को प्रभावित किए बिना पारदर्शी विधि से सम्पन्न हो।

निष्क्रिय खातों के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक का स्पष्टीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि शेयरों पर □ लाभांश ग्राहक के अधिदेश के अनुसार बचत बैंक खातों में जमा किया जाता है, उसे ग्राहक द्वारा प्रेरित लेनदेन माना जाना चाहिए। इसप्रकार जब तक कि लाभांश बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है, खाते को सक्रिय माना जाना चाहिए। बचत बैंक खाते को केवल लाभांश की अंतिम जमा प्रविष्टि की तिथि से दो वर्ष के बाद ही निष्क्रिय खाता माना जाना चाहिए, बशर्ते उसमें कोई अन्य ग्राहक प्रेरित लेनदेन न हो।

ऋण निपटान प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से एक विशिष्ट अवधि से अधिक समय से अनिर्णीत ऋण आवेदनों के बारे में समय सीमाएं निर्धारित करने और उनका पुनरीक्षण करने हेतु कहा है। जिस निर्धारित समय-सीमा के भीतर 2 लाख रुपये तक के ऋण आवेदन निपटा दिए जाएंगे उसका संकेत ऋण आवेदन स्वीकार करते समय दे दिया जाना चाहिए। संभवत: अन्य ऋणों को भी आगे चल कर इस प्रकार की निर्धारित समय-सीमा के तहत लाया जा सकता है। ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता के सम्बन्ध में अपने दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से ऋण प्रस्तावों के निपटान हेतु उपयुक्त सामयिकता के साथ 30 दिनों के भीतर सुस्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार करने और अनिर्णीत आवेदनों के पुनरीक्षण के लिए एक यथोचित निगरानी व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है।

निजी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों, प्रबन्ध निदेशकों के लिए उच्चतर आयु

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने निजी बैंकों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य कार्यपालक अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों के लिए सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु के रूप में 70 वर्ष नियत किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 का कहना है कि "कोई भी कम्पनी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रबन्ध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक के रूप में नियुक्त या उसके नियोजन को जारी नहीं रखेगी, जो 21 वर्ष से कम वाला हो या 70 वर्ष की आयु तक पहुंच गया हो।" तथापि,

बैंक के निदेशक मंडल एक आंतरिक नीति के रूप में 70 वर्ष की समग्र सीमा के भीतर कमतर सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत इक्विटी शेयरों के निर्गम हेतु मानदंड शिथिल किए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सम्बन्धित मानदंडों को शिथिल करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम्पनियों को भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की निधि के समक्ष इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति कुछेक शर्तों के साथ दे दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वत: मार्ग के अधीन शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने से सम्बन्धित वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की है तथा निवेशग्राही कम्पनी द्वारा देय किसी भी ऐसी निधि जिसके विप्रेषण के लिए सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती के समक्ष इक्विटी शेयरों के निर्गम की अनुमति दे दी है।
(अधिक जानकारी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट देखें।)

बैंकिंग जगत की घटनाएं

2013-14 में इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतान मूल्य और परिमाण की दृष्टि से बढ़े

मूल्य और परिमाण की दृष्टि से 2013-14 में इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतानों में क्रमश: 50% और 60% का उछाल आया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में 2012-13 में 31.88 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान 47.86 लाख करोड़ रुपये के इलेक्टॉनिक खुदरा भुगतान परिलक्षित हुए। वर्ष 2013-14 में कुल इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में मुद्रा के कम्प्यूटरीकृत अंतरण, मोबाइल बैंकिंग तथा क्रेडिट / डेबिट कार्डों के उपयोग जैसी इलेक्ट्रॉनिक विधियों की हिस्सेदारी 35% रही, जो एक वर्ष पहले के स्तर से 10% अधिक रही। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT), इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ECS), डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान प्रवेशमार्गों (gateways) के उपयोग में अधिकतम वृद्धि के परिणामस्वरूप बैंकिंग लेनदेनों को इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में स्थानांतरित करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों में पिछले दो वर्षों में गति आ गई है।

लोक भविष्य निधि की अदावीकृत निधियों के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय का पैनल

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने लोक भविष्य निधि (PPF) और डाकघर की बचत योजनाओं में अदावीकृत जमाराशियों का पता लगाने तथा यह सुझाव देने हेतु कि इन निधियों का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ किस प्रकार किया जा सकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान के अधीन एक समिति गठित की है। उक्त समिति यह भी सुझाव देगी कि क्या

अदावीकृत जमाराशियां सरकार को प्राप्त हो सकती हैं या फिर उन्हें एक अलग खाते में रखा जाना चाहिए। समिति के सदस्यों में सचिव, (डाकघर विभाग), संयुक्त सचिव, (विधि और न्याय मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग), भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबन्ध निदेशक एवं पंजाब नैशनल बैंक के कार्यपालक निदेशक का समावेश है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रतिभा के बेहतर प्रबंधन में सहायता करने के उपायों की रूपरेखा तय की

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक समिति ने बैंकिंग उद्योग पर मानव संसाधन के दबाव को कम करने हेतु कुछेक उपाय सुझाए हैं। उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (NIBM) जैसी विविध संस्थाओं के सुधार, प्रबन्ध निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों की बुद्धिमत्ता बढ़ाना और कठोर प्रवेश कार्यक्रम संचालित करना अनिवार्य है। उक्त पैनल ने यह सुझाव दिया है कि प्रवेश के स्तर पर एक राष्ट्रीय एवं ऑनलाइन बैंकिंग रुझान परीक्षा आवश्यक है, किन्तु वह किसी बैंक कर्मचारी को चयनित करने की पर्याप्त शर्त नहीं है। उसने इस बात पर भी बल दिया है कि कर्मचारियों की तैनाती तदर्थ या विवेकाधीन होने की अपेक्षा सुनिर्धारित मापदंडों के आधार पर होनी चाहिए। उक्त रिपोर्ट का विस्तार क्षेत्र अनिवार्य रूप से वह मानव संसाधान अंतराक्षेपण है जिसकी शीर्ष बैंक द्वारा विनियमित बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विविध स्तरों पर नियोजित कार्मिकों की प्रभावशीलता और कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिए आवश्यकता होगी। उक्त समिति ने बैंकों से यह सिफारिश की है कि वे विशेषज्ञ तैयार करें, क्योंकि उनकी भूमिका अधिकाधिक रूप से महत्वपूर्ण होती जा रही है, इसप्रकार उपयुक्त मानव संसाधन अंतराक्षेपण की आवश्यकता है। औपचारिक मानकों और संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपनाने से भारत यू.के., हांगकांग और सिंगापुर जैसे उन उन्नत देशों के समूह में शामिल हो जाएगा, जो बैंकिंग उद्योग में सेवा करने हेतु कुछेक न्यूनतम ज्ञान / जानकारी वाले मापदंड अपनाते हैं। उक्त समिति ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए दीर्घ अवधि अर्थात् 5 वर्ष और उससे अधिक में प्रतिभा एवं नेतृत्व सम्बन्धी आवश्यकताओं की रणनीतिक रूप से योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बासेल III मानदंडों को पूरा करने हेतु 2.2 लाख करोड़ रुपये जुटामे की जरूरत होगी

साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों को बासेल III मानदंडों को पूरा करने के लिए अगले चार-पांच वर्षों में 1.5-2.2 लाख करोड़ रुपये जुटाने की जरूरत होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के जिन बैंकों का वह श्रेणी-निर्धारण करती है, उन्हें यह मानते हुए कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में साधारण समुत्थान हो सकता है तथा अनर्जक ऋणों के वर्तमान स्तर में क्रमिक गिरावट आ सकती है, बाहरी पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। मूडीज ने

इस बात का उल्लेख किया है कि लगभग 80,000-90,000 करोड़ रुपये की अपेक्षित पूंजी का एक उल्लेखनीय भाग अतिरिक्त टियर I पूंजी के रूप में हो सकता है। बासेल III में दोनों के न्यूनतम आवश्यक पूंजी के स्तरों को बढ़ा कर कुल टियर I को 7% और सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी को 5.5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए पूंजी संरक्षण भण्डार की अपेक्षा को भी पूरी करना आवश्यक होगा। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि पूंजी के कम स्तर ऋण की एक मुख्य कमजोरी बने रहते हैं।

किराना भण्डारों में भुगतान करने हेतु अपने पेटीएम डिजिटल बटुए का उपयोग करें

मोबाइल वाणिज्य और ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम एक ऐसी प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहा है जो उपभोक्ताओं की एक ऐस डिजिटल बटुआ व्यवस्था के माध्यम से ऑफलाइन भण्डारों से खरीदारी करने में सहायता करेगी, जिसके जरिये ग्राहक अपनी धनराशि को डिजिटल विधि से भण्डारित कर सकते हैं तथा मोबाइलों के जरिये ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। यह उपभोक्ता जिस विधि से खरीदारी करते हैं तथा ऑफलाइन भण्डारों से लेनदेन करते हैं, उसमें कायापलट कर देगी। डिजिटल बटुए के परिणामस्वरूप लोगों को नकदी या क्रेडिट / डेबिट कार्ड लेकर चलने की जरूरत नहीं रह जाती।

पेंशन निधियों को बासेल III अनुपालक बैंक बॉण्डों में निवेश की अनुमति

पेंशन विनियामक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने पेंशन निधियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) द्वारा जारी किए जाने वाले बासेल III अनुपालक अतिरिक्त टियर I बॉण्डों में निवेश करने की सुस्पष्ट रूप से अनुमति देकर उनके लिए निवेश अंतराल को व्यापक बना दिया है। इससे सरकार की पूंजी निषेचन चिंता में भी कमी आने की आशा है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री आर.वी. वर्मा का कहना है कि "पेंशन निधि के प्रबन्धक उनकी मूल निधि, जोखिम अभिरुचि और उचित कर्तव्यपरायणता में फैक्टरिंग करने के बाद इन बॉण्डों में निवेश कर सकते हैं।"

विनियामकों के कथन

विदेशी बैंकों के लिए सरल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नियमों की संभावना

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के नियमों को संशोधित कर सकता है, ताकि विदेशी बैंकों को अपेक्षाएं पूरी करने में यह आसान हो सके। विनियामक वित्तीय क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) को भी सुदृढ़ करना चाहता है। डॉ. राजन ने विषम बरसात को ध्यान में रखते हुए खाद्य मुद्रास्फीति के सम्बन्ध में अपनी चिंता को भी दोहराया है तथा यह सुझाव दिया है कि इसके एक संभाव्य समाधान में घरेलू बैंकों द्वारा अधिक कृषि उधार देना और विदेशी बैंकों द्वारा अधिक लघु एवं मध्यम उद्यम उधार देना शामिल हो सकता है।

स्थायी मुद्रास्फीति को भंजित करना जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने इस बात पर बल दिया है कि वास्तविक समस्या है मुद्रास्फीति, जो स्थायी है। उन्होंने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति की रीढ़ को तोड़ने के लिए "हमें इस स्थिरता को तोड़ना होगा।" खुदरा मुद्रास्फीति में सीमांत रूप से कमी आ रही है और वह अगस्त में 7.8% थी, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति घटकर उसी माह में पांच वर्ष के न्यून स्तर 3.74% पर पहुंच गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी तक मुद्रास्फीति को घटाकर 6% तक लाने का लक्ष्य नियत कर रखा है। मुद्रास्फीति के नियंत्रित हो जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिक सहूलियत वाली स्थिति में आ जाएगा।

विद्युत आस्तियों पर दबाव कम करने हेतु प्रशुल्क बढ़ाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल के अनुसार विद्युत आस्तियों पर दबाव में बिजली प्रशुल्क को डीजल की कीमतों और रेलवे किरायों में चरणबद्ध वृद्धि की भांति युक्तियुक्त बना कर कमी लाई जा सकती है। "आस्तियों को व्यवस्थित करने तथा दबावग्रस्त आस्तियों में कमी लाने के लिए ईंधन की सहलग्नताओं और पर्यावरण से सम्बन्धित अड़चनों को दूर किया जाना □रूरी है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रशुल्कों का युक्तियुक्तीकरण आवश्यक है। हमने रेलवे में कुछ प्रशुल्क वृद्धि की है, हमने डीजल की कीमत प्रति माह 50 पैसे बढ़ा कर जिस रीति से उससे सम्बन्धित आर्थिक सहायता (subsidy) के अंतर को मिटाया है, वह बिजली प्रशुल्क के लिए भी अपनाई जा सकती है। बैंकों के लिए एक ऐसे सहज एवं समयबद्ध वित्तीय पुनर्संरचना मॉडेल अपनाना □रूरी है, जो बैंकिंग क्षेत्र की इन क्षेत्रों से सम्बन्धित विद्यमान अड़चनों को दूर करने में सहायक होगा। यदि कोई परियोजनों किसी प्रकार की कठिनाई से गुजरती है, तो ऋणदाताओं का सहायता संघ अथवा कोई नया खरीदार उसे अधिगृहीत कर सकता है। उससे आस्ति को अनर्जक आस्ति बनने से रोका जा सकता है।"

अर्थव्यवस्था

1ली तिमाही में चालू खाते का घाटा घटकर 1.7% हुआ

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार निर्यात में वृद्धि और आयात में गिरावट ने अप्रैल-जून वाली तिमाही

अर्थात् 2014-15 की पहली तिमाही में देश के चालू खाते के घाटे (CAD) को एक वर्ष पहले वाली अवधि में 21.8 बिलियन अमरीकी डालर से तीव्र गति से घटा कर 7.8 बिलियन अमरीकी डालर करने में सहायता की है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाते का घाटा रिपोर्टिंग अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4.8% के समक्ष 1.7% के रूप में कम था। हालांकि, 1ली तिमाही में चालू खाते का घाटा पूर्ववर्ती जनवरी-मार्च वाली तिमाही के 1.2 बिलियन अमरीकी डालर (सकल घरेलू उत्पाद के 0.2%) से अधिक था।

मुद्रास्फीति घट कर लगभग पांच वर्ष के न्यून स्तर पर

खाद्य मदों में साधारण वृद्धि तथा पेट्रोल के सस्ते हो जाने के परिणामस्वरूप अगस्त में थोक मूल्य संचकांक (WPI) लुढ़क कर 3.74% के रूप में लगभग पांच वर्ष के न्यून स्तर पर पहुंच गई। कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में गिरावट - जिसने डीजलमें मासिक मूल्य वृद्धि को समाप्त करने में सहायता की - आगामी कुछ महीनों में मुद्रास्फीति को और कम करने में सहायक हो सकती है, यद्यपि सूखे मौसम तथा ग्रीष्म ऋतु वाली फसलों की विलंबित बुवाई के संभाव्य प्रभाव के कारण कुछ जोखिम बने हुए हैं।

विदेशी मुद्रा

अक्तूबर, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.38000	0.816	1.294	1.692	1.961
जीबीपी	0.80210	1.2825.	1.6102	1.8533	2.0320
यूरो	0.18900	0.200	0.258	0.343	0.471
जापानी येन	0.18380	0.180	0.194	0.225	0.275
कनाडाई डालर	1.47000	1.452	1.665	1.583	2.021
आस्ट्रेलियाई डालर	2.74000	2.825	2.935	3.178	3.328
स्विस फ्रैंक	0.06750	0.031	0.087	0.162	0.258
डैनिश क्रोन	0.46100	0.4834	0.5580	0.6550	0.7870
न्यूजीलैंड डालर	3.87000	4.125	4.255	4.335	4.403

स्वीडिश क्रोन	0.47500	0.562	0.724	0.900	1.078
सिंगापुर डालर	0.43000	0.840	1.268	1.625	1.880
हांगकांग डालर	0.54000	0.960	1.430	1.760	1.960
एमवाईआर	3.76000	3.780	3.860	3.930	4.010

स्रोत : www.fedai.org.in

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**26 सितम्बर, 2014 के दिन**	**26 सितम्बर, 2014 के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	19, 347.9	314, 181..5
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	17, 721.4	2 87.,392.3
ख) सोना	1, 265.9	20 ,933.1
ग) विशेष आहरण अधिकार	265.2	4, 307. 2
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	95.4	1 ,548.9

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन ने बैंकों को व्यवसाय का बोध कराया

भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशक श्रीमती दीपाली पंत जोशी के अनुसार जब विदेशी निवेशक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs), जो पिरामिड के अधस्तल पर जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करती हैं, द्वारा सृजित निवेशों पर प्रतिलाभ द्वारा आकर्षित होते हैं, तो वह निश्चित रूप से बैंकों के लिए प्रधान मंत्री की जन धन योजना के तहत वित्तीय समावेशन पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने वाला व्यावसायिक मामला बन जाता है। विदेशी निवेशक हमारे सुक्ष्मवित्त खण्ड में गहन रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्हें उनके निवेश पर प्रतिलाभ मिलता है। अब हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम यह देखें कि हमें वित्तीय समावेशन में किसके निर्माण की जरूरत है। आपको पिरामिड के अधस्तल में निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा।

जन धन योजना से रूपे गेटवे के लिए नये दरवाज़े खुले

चूंकि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वित्तीय समावेशन योजना 'प्रधान मंत्री जन-धन योजना' (PMJDY) प्रभावशाली संख्याओं तक पहुंच गई है और उसके 100 दिनों के भीतर ही 7.5 करोड़ खातों का लक्ष्य प्राप्त कर लेने की आशा है, भुगतान प्रवेश मार्ग रूपे के भाग्य में उछाल परिलक्षित हो रहा है। भुगतान के प्रवेश मार्ग ऐसे प्लेटफार्म होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरणों की सुविधा प्रदान करने में बैंकों की सहायता करते हैं। अमेरिका, जापान और चीन के बाद भारत विश्व का वह चौथा देश है जिसके पास रूपे के रूप में स्वयं अपना राष्ट्रीय भुगतान प्रवेश मार्ग है। प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के अपनी शुरुआत के सात दिनों के भीतर ही लगभग 2.5 करोड़ नये बैंक खातों तक पहुंच जाने के परिणामस्वरूप प्रत्येक खाता धारक को उसके खाते के साथ एक रूपे डेबिट कार्ड प्राप्त होता है। वित्तीय समावेशन योजना के आरंभ हो जाने के फलस्वरूप रूपे कार्ड धारकों की कुल संख्या में उछाल आने की संभावना है।

बीमा

जीवन बीमा की वृद्धि में प्रतिक्षेप परिलक्षित

स्थूल-आर्थिक परिदृश्य में चतुर्दिक सुधार के परिणामस्वरूप इस वित्त वर्ष में अब तक जीवन बीमा में प्रतिक्षेप (rebound) हुआ है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के आंकड़ों के अनुसार उद्योग की वैयक्तिक प्रीमियम वसूली जून, 2014 में 14% बढ़कर एक वर्ष पहले वाली अवधि की 8,839.9 करोड़ रुपये के समक्ष 10,087.2 करोड़ रुपये हो गई।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
नाबार्ड	नेटऐप	भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को किसी भी शाखा में बैंकिंग, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण और एटीएमों जैसी मूलभूत ग्रामीण बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाना।
इलाहाबाद बैंक	भारत संचार निगम लिमिटेड	नकदी प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करना।
पंजाब नैशनल बैंक (PNB)	ओरिगो कमोडिटीज इंडिया प्रा. लि.	गोदाम रसीदों के जरिये वित्तीयन प्रदान करना।

	होंडा मोटर साइकल एण्ड स्कूटर इंडिया	बाद वाले के दुपहिया वाहनों के लिए आकर्षक खुदारा वित्त प्रदान करना
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	आरएमएल इन्फार्मेशन सर्विसे□	बैंक के पांच लाख से अधिक कृषक ग्राहकों को एसएमएस-आधारित सेवाएं प्रदान करना। यह किसानों को विशिष्टीकृत कृषि सूचना प्रदान करेगी।
यूको बैंक	सीसी एवेन्यू	यूको बैंक के ग्राहकों को विभिन्न ऐसी वेब साइटों पर ऑनलाइन खरीदारी करने हेतु प्रेरित करना, जो CCAvenue.com द्वारा समर्थित हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ कोरिया	एकदजिम बैंक ऑफ चाइना द्वारा प्रदान की जाने वाली 1.8 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था प्राप्त करना। इसका उपयोग चीन से आयातों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। कोरिया से माल एवं सेवाओं का आयात करने वाली भारतीय कम्पनियों की सहायता करना।
जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक	नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज	कटाई-पूर्व, विपणन से निर्यात तक की श्रेणी वाली आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उद्योगों, व्यापारियों और किसानों का वित्तीयन।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	फिनो पे टेक	प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत बैंकिंग सुविधा-रहित आबादी की पहचान एवं नामांकन करना।
अरबीएल बैंक	थॉमस कुक	देशभर में स्थित बैंक की 155 शाखाओं के माध्यम से उसकी बहु-मुद्रा आदेश-रहित पूर्व-प्रदत्त कार्ड का वितरण।

बासेल III - पूंजी विनियमन (□रि----)

बासेल III पर चर्चा को जारी रखते हुए निम्नलिखित को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है :

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार

परिचालन जोखिम को अपर्याप्त अथवा विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों से अथवा बाहरी घटनाओं से पैदा होने वाला हानि जोखिम कहा जाता है। इसमें विधिक जोखिम शामिल होता है, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम बहिष्कृत रहता है। विधिक जोखिम में जुरमानों, दंडों अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाइयों से उद्भूत दंडात्मक क्षतियों तथा उनके साथ ही निजी निपटारों भी का समावेश होता है, किन्तु वह इन्हीं तक सीमित नहीं होता।

मापन के तौर-तरीके

बढ़ते परिष्कारों और जोखिम संवेदनशीलता के अनुसरण में परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार की गणना के लिए तीन पद्धतियों की व्यवस्था की गई है, यथा :

i) मूल संकेतक दृष्टिकोण (BIA)

ii) मानकीकृत दृष्टिकोण (SA) और
iii) उन्नत मापन दृष्टिकोण (AMA)
बैंकों को प्रारंभ में मूल संकेतक दृष्टिकोण (BIA) अपनाने की सलाह दी गई है और सामान्य विश्वसनीयता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत पूंजी आवश्यकता का पुनरीक्षण करेगा तथा किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने की स्थिति में स्तंभ 2 के अधीन उपयुक्त पर्यवेक्षी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार की गणना निम्नानुसार की जाती है :

केबीआईए = [टीएम (जीआई1----एन x I) /एन

जिसमें
केबीआईए = मूल संकेतक दृष्टिकोण के तहत पूंजीगत प्रभार
जीआई = पिछले तीन वर्षों में जहां धनात्मक हो, सकल वार्षिक आय,
एन = पिछले उन तीन वर्षों की संख्या जिनमें सकल आय धनात्मक हों
आई = 15% (अल्फा) जो बैंकिंग पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बासेल समिति द्वारा उद्योग-व्यापी संकेतक के स्तर की तुलना में उद्योग-व्यापी आवश्यक पूंजी के स्तर के सम्बन्ध में नियत की गई है।
(सकल आय को परिपत्र में यथा-वर्णित समायोजन के साथ 'निवल ब्याजगत आय' जोड़िए 'निवल गैर-ब्याजगत आय' के रूप में परिभाषित किया गया है।)
बैंकों को मूल संकेतक दृष्टिकोण के अधीन परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत प्रभार का परिकलन निम्नानुसार करने की सलाह दी गई है :
क) ऋणात्मक या शून्य आय वाले वर्षों को छोड़कर पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए [सकल आय* अल्फा] का औसत
ख) सकल आय = निवल लाभ (+) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (+) परिचालन व्यय
ग) अल्फा = 15 प्रतिशत
मूल संकेतक दृष्टिकोण के अधीन बैंकों से अपेक्षित है कि वे परिचालन जोखिम के लिए पूंजी पिछले तीन वर्षों में औसत धनात्मक सकल वार्षिक आय के बराबर रखें। किसी वर्ष की सकल आय के ऋणात्मक या शून्य होने पर औसत की गणना करते समय उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। ऋणात्मक सकल आय के बैंक के स्तंभ I के पूंजीगत प्रभार को विकृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक स्तंभ 2 के तहत आवश्यक पर्यवेक्षी कार्रवाई आरंभ करेगा।
(स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

अनिरुद्ध (Liquid) आस्तियां

अनिरुद्ध आस्तियों में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियों, बैंकों के पास चालू खाते में शेष राशियों, मांग एवं अल्प सूचना पर देय मुद्रा, 30 दिनों के भीतर प्राप्य अंतर-बैंक अभिनियोजनों

(placements) तथा उन प्रतिभूतियों को छोड़कर जिनके लिए तैयार बाज़ार नहीं होता "व्यापार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों के तहत प्रतिभूतियों का समावेश होता है।

बिक्री के लिए उपलब्ध

बिक्री के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियां वे प्रतिभूतियां होती हैं जिनमें बैंक का आशय न तो बेचना और न ही परिपकवता तक रखना होता है। इन प्रतिभूतियों को उनके उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है जिसका निर्धारण बाज़ार के वर्तमान भावों के उत्तम उपलब्ध स्रोत को संदर्भित करके अथवा वर्तमान मूल्य से सम्बन्धित अन्य आंकड़ों द्वारा किया जाता है।

शब्दावली

डिज़िटल थैला (Wallet)

एक ऐसी प्रणाली जो प्रयोक्ता के भुगतान से सम्बन्धित सूचना और पासवर्डों को असंख्य भुगतान विधियों एवं वेबसाइटों के लिए सुरक्षित रूप से भण्डारित करती है। डिजिटल थैलों का उपयोग करके प्रयोक्तागण नियरफील्ड संचार प्रौद्योगिकी के साथ खरीदियां सरलता और शीघ्रतापूर्वक पूरी कर सकते हैं। वे इस बात की चिंता किए बिना कि वे उन्हें बाद में याद करने में समर्थ होंगे या नहीं, अपेक्षाकृत मज़बूत पासवर्ड भी सृजित कर सकते हैं। डिजिटल थैलों का उपयोग उन मोबाइल भुगतान प्रणालियों के साथ किया जा सकता है जो ग्राहकों को उनके स्मार्ट फोनों के साथ खरीदियां करने की सुविधा प्रदान करती हैं। उनका उपयोग निष्ठा (loyalty) कार्ड से सम्बन्धित सूचना एवं डिजिटल कूपनों को भण्डारित करने हेतु भी किया जा सकता है। इन्हें ई-वैलेट के नाम से भी जाना □ाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्तूबर, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	मुंबई 7 से 11 अक्तूबर 13 से 18 अक्तूबर दिल्ली 7 से 11 अक्तूबर चेन्नै 13 से 17 अक्तूबर कोलकाता 27 से 31 अक्तूबर
2	परियोजना वित्त पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	13 से 19 अक्तूबर

3	आवास वित्त पर 7वां कार्यक्रम	30 अक्तूबर से 1 नवम्बर
4	अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण / आतंकवाद का मुकाबला पर 6ठा कार्यक्रम	30 अक्तूबर से 1 नवम्बर

संस्थान समाचार

बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ का सम्मेलन 2014

बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ (APABI) के एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2014 का आयोजन 25 सितम्बर, 2014 को होटल ट्राइडेंट, मुंबई में किया गया। उद्घाटन सत्र में इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के अध्यक्ष श्री टी.एम. भसीन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र के समक्ष उपस्थित प्रतिभा प्रबन्धन से सम्बन्धित मुद्दों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान द्वारा किया गया, जिन्होंने बैंकों में प्रतिभा प्रबन्धन पर मुख्य भाषण दिया। उप गवर्नर ने संस्थान की तिमाही पत्रिका 'बैंक क्वेस्ट' के विशेष अंक का भी विमोचन किया।

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. आर भास्करन ने दूसरे सत्र में 'बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में प्रतिभा प्रबन्धन' पर एक पावरप्वाइंट प्रस्तुतिकरण किया जो संस्थान द्वारा किए गए 26 बैंकों के सर्वेक्षण तथा अन्य विविध मौजूदा सर्वेक्षणों पर आधारित था। इसके बाद वरिष्ठ बैंकरों यथा- सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री राजीव ऋषि, भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबन्ध निदेशक डॉ. जे.एन. मिश्रा, आईसीआईसीआई बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री के. रामकुमार, मेबैंक, मलेसिया के ट्रैंजैक्शनल बैंकिंग के ग्रुप हेड श्री जॉन वोंग, तथा एचएसबीसी के मानव संसाधन प्रमुख श्री विक्रम टंडन द्वारा एक पैनल विचार-विमर्श आयोजित किया गया। उक्त पैनल ने वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व वाले प्रतिभा से जुड़े मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

तीसरे सत्र में बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (IDRBt) के निदेशक श्री बी. संबामूर्ति, टीआईएस, मुंबई के इक्जीक्युटिव वाइस प्रसिडेन्ट श्री आर. आर. जुमानी, ऐक्सिस बैंक के वाइस प्रेसिडेन्ट (प्रतिभा प्रबन्धन एवं ओडी) श्री निशांत डांगले और दि हांगकांग इंस्टिटयूट ऑफ बैंकर्स की मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुश्री कैरी लियुंग ने बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में विविध शिक्षण पहलकदमियों पर चर्चा की।

चौथे सत्र में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री एम.वी. टाकसाले और एशिया प्रशांत, कोर्न एण्ड फेरी लीडरशिप एण्ड टैलेन्ट कन्सल्टिंग, सिंगापुर के प्रबन्ध निदेशक श्री इंद्रनील राय ने बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र के समक्ष उपस्थित होने वाले नेतृत्व से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा की तथा उन मुद्दों को हल करने हेतु अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। उक्त तीनों ही सत्रों में प्रश्न-उत्तर सत्र की भी व्यवस्था की गई थी।

बैंकिंग संस्थानों के एशिया-प्रशांत संघ (APABI) सम्मेलन के पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका के टैलेन्ट मैनेजमेंट परामर्शदाता डॉ. चिप क्लियरी द्वारा प्रतिभा प्रबन्धन : मानसिक मॉडेल एवं अधस्तलीय परिणाम विषय पर - 31वां सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास स्मारक व्याख्यान दिया गया। बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस की उप सभापति श्रीमती वी. आर. अय्यर ने इस व्याख्यान सत्र की अध्यक्षता की। उक्त व्याख्यान की प्रति इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के पोर्टल www.iibf.org.in पर उपलब्ध है। उक्त सम्मेलन में 21 देशों के 40 प्रतिनिधियों सहित 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उन्नत मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा में शिक्षण पूरा करने की समय-सीमा

कक्षा में शिक्षण उन परिणामों की घोषणा की तिथि से 15 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाना आवश्यक है, जिनमें अभ्यर्थी ने निम्नलिखित उन्नत मिश्रित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी / उत्तीर्ण कर ली हो।

1) प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक
2) प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिक
3) प्रमाणित ऋण (क्रेडिट) अधिकारी
प्रमाणित खज़ाना व्यापारी

किसी अभ्यर्थी के निर्धारित कक्षा में शिक्षण विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करने में असफल हो जाने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने के उद्देश्य से उस अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह पुर्ववर्ती ऑनलाइन परीक्षाओं में उत्तीर्ण विषय/यों के लिए श्रेय को पूर्ववर्ती रूप देते हुए ऑनलाइन परीक्षा के लिए स्वयं को पुनर्नामांकित कराए।

प्रमाणित खज़ाना व्यापारी पाठ्यक्रम

संस्थान ने हाल ही में एक प्रमाणित खज़ाना व्यापारी पाठ्यक्रम की शुरुआत की है जिसके लिए परीक्षा हेतु नामांकन आरंभ हो गया है। उक्त परीक्षा हेतु नामांकन की अंतिम तिथि 15 नवम्बर, 2014 है तथा पहली परीक्षा 15 फरवरी, 2015 को आयोजित होगी।

प्रमाणित ऋण अधिकारी पाठ्यक्रम

परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 2014 कर दी गई है।

जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के लिए ई-शिक्षण, वीडियो व्याख्यान एवं छद्म परीक्षा

जेएआईईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा तथा सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए नामांकित सभी अभ्यर्थियों को ई-शिक्षण एवं वीडियो व्याख्यान मुफ्त प्रदान किए जाते हैं।

छद्म परीक्षा

जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा तथा सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को छद्म परीक्षा की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान ने जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाओं की घोषणा की है। संपर्क कक्षाओं के कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। संस्थान अनुपालन और बैंक प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रमों के लिए भी संपर्क कक्षाओं की सुविधा प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

दिशानिर्देशों की अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून महीनों के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में समावेश के उद्देश्य से केवल विनियामक (कों) द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों तथा उस वर्ष के क्रमश: 31 जुलाई / 31 जनवरी तक बैंकिंग एवं वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। (अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in.)

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत *

डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013 -15
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित- प्रेषण तिथि पत्येक माह की 25वीं से 30वीं तक - मुंबई पत्रिका चैनल कार्यालय, मुंबई में प्रेषित - डब्ल्यूवीपी लाइसेंस सं. एमआर/टेक/डब्ल्यूपीपी -62 एनई/2013-15 - पूर्व-भुगतान के बिना प्रेषण । लाइसेंस

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें
भारित औसत मांग दरें

9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.00

01/09/14 03/09/14 06/09/14 12/09/14 13/09/14 15/09/14 16/09/14 20/09/14 24/09/14 27/09/14 30/09/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, सितम्बर, 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

104.00
99.00
94.00
89.00
84.00
79.00
74.00
69.00
64.00
59.00
54.00

01/09/14 02/09/14 05/09/14 08/09/14 10/09/14 16/09/14 17/09/14 18/09/14 22/09/14 26/09/14 29/09/14 30/09/14

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

27400
27200
27000
26800
26600
26400
26200
26000

01/09/14 03/09/14 05/09/14 08/09/14 11/09/14 12/9/14 16/09/14 22/ 09/14 23/09/14 25/09/14 30/09/14

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

आईआईबीएफ विज़न अक्तूबर, 2014